

करार

नियम 96 (1) देखें

यह करार, ग्राम पंचायत ----- तहसील व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के सचिव के द्वारा, जिसे इसमें प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और ..... भाग लेने वाली समिति/रजिस्टर निकाय के अध्यक्ष द्वारा, जिसे इसमें द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के बीच आज दिनांक ..... को किया गया -

जैसा कि ..... प्रथम पक्ष ने ..... संकर्म के निष्पादन का आषय किया है जिसकी कुल लागत ..... रुपए है -- ..... शब्दों में-- :

और जैसा कि द्वितीय पक्ष.....दिनों/महीने के भीतर पक्षकारों के बीच सहमति के बाद,निबन्धनों और शर्तों पर उक्त संकर्म के निष्पादन को सहमत हुआ है :

अतः एतद्वारा और पक्षकारों के बीच निम्न रूप में सहमति से करार किया जाता है :

1. यह कि संकर्म हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और प्रथम पक्ष की, इसके तकनीकी प्राधिकारियों के माध्यम से, तुष्टि के अनुसार किया जाएगा ।
  2. यह कि संकर्म द्वितीय पक्ष, द्वारा ..... दिनों/महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा और सामग्री और मन्जूरी इत्यादि मे लागत की बढ़ौतरी के लेखे में कोई अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा ।
  3. यह कि द्वितीय पक्ष, मजदूरो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदुरी का संदाय करेगा ।
  4. यह कि द्वितीय पक्ष, समस्त लागू निबन्धन और अन्य प्रभार, जैसे कि विक्रय कर, आय कर, रायल्टी इत्यादि, स्वयं वहन करेगा ।
  5. यह कि द्वितीय पक्ष, संकर्म के निष्पादन से किसी सार्वजनिक या निजी सम्पति को हुआ नुकसान, यदि कोई हो, की प्रथम पक्ष की सहमति/पुष्टि से क्षतिपूर्ति करेगा ।
  6. यह कि संकर्म के निष्पादन से किसी त्रुटि की दषा में, जैसा कि प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी द्वारा बताई गई है, उसे द्वितीय पक्ष द्वारा, किसी अतिरिक्त दावे के बिना, प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार, उसमे सुधार किया जाएगा ।
  7. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा संदत किये गए चालू अन्तिम बिलों से पहले मूल बिल/वाउचर प्रस्तुत करेगा ।
  8. यह कि द्वितीय पक्ष, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, कार्य, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अध्याय-गप् के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए संकर्मों को निष्पादित करेगा ।
  - 9 यह कि द्वितीय पक्ष को 60 : 40 (मजदूरी : सामग्री ) के अनुपात में अदायगी की जाएगी ।
- साक्षी के रूप में, दोनो पक्षों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए ।

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी :

1. ....
2. ....

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी :

1. ....
2. ....